

Bortey

अंचल अधिकारी का कार्यालय बलियापुर (धनबाद)

जमावदी रद्द अभिलेख याद सं०- 185 / 2016-17

याद का प्रकार - बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1959 का धारा 10(a) के तहत जमीन एवं करबंदी से संबंधित।

19/12/16

झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/एड दिनांक 13.05.2016 में स्थापित की अनुसूची मुजर्जी निदेशक, नू-अर्जन-रात-विशेष सचिव, एजल सुद में द्वारा विभाग का पत्र सं०-3 ख०म०अ०नि०-1-3/85/2358/रा० दिनांक 03.09.1993 का एड-गठित राज्य विभागीय परिपत्र सं० 814/एड दिनांक 09.12.1999 ने शिक्षा विभाग के अनुसूचन गैरमजसूआ खात भूमि को कार्य को गद्दी कायदेया की जमीन प्राप्त की गई। जमीन का काम में हलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिक्रिया किया गया है कि जमावदी विवरणी की भूमि -

मंशा झारवरा धान नं० 42 खेत सं० 138 खेत सं० 0-50 एकड़ भूमि के गैरमजसूआ खात अनायाद बिहार

(झारखण्ड) सरकार के खात की दरकार भूमि है, जिसकी जमावदी एवं गैर ले भोजी जमावदी रैगट

पूजावन महतो पि० रवि महतो के नाम से किये हैं।

हलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जमीन पर उपरोक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावदी का रद्द किया जा रहा है।

हलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा उपरोक्त जमीन से प्रतीत होता है कि उपरोक्त जमावदी बिना स्थान गदाधिकारी के अवेद्य क/अवेद्य बन्दोस्तों के अवेद्य पर/अवेद्य कोडकर बन्दोस्तों के आधार पर/अवेद्य जमावदी निर्धारण के आधार पर/अवेद्य हुकूमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका रद्द किया जाना एक राज्य की हकीकत है।

प्रथम दृष्टया अनुसूचा से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणी की जमावदी की सही जमावदी अवेद्य प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1959 की धारा 10(a) के तहत जमीन बिना वास्तविक प्रमाणों के रद्द है।

अतएव संबंधित जमावदी रैगट को तत्पश्चात् निरस्त कर उपरोक्त नू-अर्जन से संबंधित नू-अर्जाकार/निर्गत लगान कसब की भांग कर तथा सामान्य स्थिति प्रकट कर कि जमावदी रैगट जमावदी को अवेद्य मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1959 की धारा 10(a) के तहत स्थान प्रधिकार को रद्द करने का अनुसूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 1/8/16 की तारीख में।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
बलियापुर।

19/12/16

अंचल अधिकारी
बलियापुर

गणित विभाग
19/12/16
19/12/16

1/8/16

अभिलेख उपख्यापित विषय गण। जमाने
राम के वंशज द्वारा रामायण के उपख्यापित
द्वारा अपना उपख्यापित के लिए हान
उपरोक्त सन्धि के संश्लेषित दुकानगारा
ल-केवली देश नं० ३(11) 17077 के
नगण्य शीत वर्ष 1986 की दम, प्रति
समाधि विषय गण है।

आज्ञा अश्रित कार्टवर्डि हं

अभिलेख सन्धि सुधार उप समा हं, धनसाद
संके अंके।

1/8/16
अंकल अधिकारी
वसिष्ठापुर

